दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि साक्षरता की दृष्टि से हमारा राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है और बाड़मेर जिले में केवल 12 परसेन्ट साक्षरता है और महिलाओं की 3 परसेन्ट साक्षरता है और जैसलमेर में 16 परसेन्ट साक्षर हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जो सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम बना है, उसके अन्तर्गत हमें कुछ मदद मिल रही है। पहले साल मदद मिली थी लेकिन हमारे क्षेत्र की मांग बहुत ज्यादा है। हमारे यहां के लोग पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए जितने प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं, उनसे हमारी मांग पूरी नहीं होती है। जो गत साल गया है, उसमें एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया है हालांकि प्राइमरी स्कूल कुछ में सैक्शन हुए हैं। कांस्टीट्यूशन की आर्टीकिल 45 में कम्पलसरी एजूकेशन के लिए जोर दिया गया है लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं की जाती है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था जरूर की जाए। एजूकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल खोले जाएं और जो पढ़ना चाहते है उनके लिए बाड़मेर में 300 प्राइमरी स्कूलों की और जैसलमेर में 150 प्राइमरी स्कूलों की मांग है। हमारी यह भी मांग है कि हर पंचायत में एक मिडिल स्कूल खोला जाए और स्कूलों के टीचरों के लिए जो क्वार्टर्स की मांग है, उसकी पूर्ति की जाए।

साथ ही साथ डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में प्रधान मन्त्री जी ने प्लानिंग की कन्सलटेटिव कमेटी में आश्वासन दिया था और इसके लिए योजना में 245 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है परन्तु 166 करोड़ रुपये ही रिलीज किये गये हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्दर जो राशि दी गई है, वह भी पूरी खर्च नहीं हुई है और प्लानिंग कमीशन और फाइनेन्स मिनिस्ट्री इसमें रुकावट डाल रही हैं। डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्दर एनीमल हस्बैण्ड्री का प्रोग्राम करटेल कर दिया गया है, एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्यूबवैल्स का प्रोग्राम करटेल कर दिया गया है, पावर का प्रोग्राम करटेल कर दिया गया है तो इन प्रोग्रामों को हम करटेल करें और उन को प्रायोरिटी नहीं दें तो यह हमारे लिए उचित नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र हैं और उसके अन्दर अकाल की भयंकर स्थिति है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी दो बार निवेदन किया है लेकिन अभी तक सौ करोड़ रुपये की इण्टरिम रिलीफ राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार से नहीं मिली है इसलिए हमें मदद दी जाय और स्टडी टीम वहां भेजी जाय। इसमें तुरन्त स्टेप उठाये जायें, कदम उठाये जायें, यही मेरी विशेष तौर से मांग है।

इसी बात को लेकर मैं फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं।

जवाहर रोजगार योजना के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के सामने बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार से बढ़कर और कोई विकट समस्या नहीं है। हमारी जनता का कोई भाग ग्रामीण गरीबों से ज्यादा सुविधाहीन नहीं है। हमारी जनता का कोई तबका ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं विशेषकर भूमिहीन महिलाओं से ज्यादा जरूरतमन्द नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू से ही हमने यह बात सीखी थी कि गरीबी दूर करने के लिए काम करना हमारा पहला राष्ट्रीय कर्तव्य है। जवाहरलाल नेहरू से ही हमने सीखा कि ग्रामीण भारत की

बेरोजगार और अपूर्ण रोजगार प्राप्त जनता की परेशानियों को कम करना सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रयास है।

इसलिए, हमारे आधुनिक राष्ट्र के आदि-निर्माता के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और नहीं हो सकती कि उनके जन्म-शताब्दी समारोहों को ग्रामीण भारत के गरीबों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के प्रति समर्पित करें।

अध्यक्ष महोदय, हम आज जवाहर रोजगार योजना शुरू करने जा रहे हैं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में ग्रामीण पंचायतों के हाथों में पर्याप्त धनराशि देना है, जिससे वे भारी संख्या में ग्रामीण गरीबों के हित में, जो ग्रामीण भारत का एक बड़ा भाग है, स्वयं अपनी ग्रामीण रोजगार योजनाएं चला सकें। यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले सात वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम देश भर की 55 प्रतिशत ग्राम-पंचायतों तक ही पहुंचे हैं। जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य प्रत्येक पंचायत तक पहुंचना है।

इसका 80 प्रतिशत कार्यक्रम केन्द्र की वित्तीय सहायता से चलाया जाएगा। इसके संचालन के प्रथम वर्ष अर्थात चालू वित्तीय वर्ष में ही इस कार्यक्रम के लिए 2100 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। हम इस प्रकार का वित्तीय ढांचा बना रहे हैं जिससे राज्यों को गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात में धनराशि आवंटित की जाएगी। यह धनराशि आगे जिलों को सौंपी जाएगी, जिसका निर्धारण पिछड़ेपन के मापदण्ड के अनुसार किया जाएगा, जैसे जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का हिस्सा, कुल मजदूरों की तुलना में कृषि मजदूरों का अनुपात और कृषि उत्पादकता का स्तर। भौगोलिक रूप से विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी, मरुस्थली तथा द्वीपसमूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

हमें उम्मीद है कि तीन से चार हजार तक की आबादी वाली एक ग्राम पंचायत को जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष 80,000/- रुपये से लेकर एक लाख रुपये प्राप्त होंगे। हम यह आशा करते हैं कि हम प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को उसके घर के नजदीक कार्यस्थल पर प्रतिवर्ष पचास से लेकर सौ दिनों तक का रोजगार दे सकेंगे। हम आशा करते हैं कि आनावदोश जनजातियों को रोजगार उपलब्ध कराने की एकीकृत योजनाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। इस योजना की बहुत खास बात यह है कि इससे जितना रोजगार पैदा होगा उसका 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा।

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने से, लोगों को पहले की अपेक्षा इसके कहीं अधिक लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होंगे। अब तक, ऐसे कार्यक्रमों के लिए काफी बड़ी रकम ठेकेदारों और बिचौलियों पर खर्च हुई है। अन्य भी काफी अपव्यय हुआ है। इसके अलावा, प्रशासन पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है।

पंचायतों को वित्त-व्यवस्था और कार्यक्रम को चलाने की जिम्मेदारी सौंपने से, हम आशा करते हैं कि पहले से कहीं ज्यादा बड़ी रकम कार्यक्रम पर ही खर्च की जायेगी।

हम यह आशा भी करते हैं कि इस कार्यक्रम का अमल इतना अधिक खुला और साफ-सुथरा होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। हर ग्रामवासी को यह मालूम होगा कि कार्यक्रम के लिए कितनी रकम उपलब्ध है और कौन-कौन सी योजनाओं पर यह रकम खर्च की जाएगी। वह यह भी जानकारी रखेगा कि इन योजनाओं पर कौन-कौन उसके गांव वाले काम कर रहे हैं। रोजगार हासिल करने

वाले हर व्यक्ति को यह मालूम होगा कि वह कितना पारिश्रमिक ले रहा है और अन्य लोग कितना ले रहे हैं। उसे यह भी मालूम होगा कि उसे और अन्य लोगों को कितने-कितने दिनों का काम दिया जा रहा है। जिन लोगों को धोखा दिया जाता है या वंचित रखा जाता है, वे न केवल उसकी तत्काल क्षतिपूर्ति के लिए सम्भवत: मांग कर सकेंगे, बल्कि उनके हाथ में मत का वह आखिरी हथियार भी होगा जिससे वे उस पंच या सरपंच को उसके पद से हटा भी सकें, जो उसे सौंपी गई शक्तियों और जिम्मेदारियों का दुरुपयोग करता है। लोकतन्त्र गांव वाले के दरवाजे पर ही, जहां वह रहता है और काम खोजता है, कल्याणकारी राज्य को लाने का अवसर सुदृढ़ करेगा।

क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था :—

"पंचायतों एवं ग्राम समुदायों को अपने प्रस्ताव तैयार करने चाहिएं। हम अब केवल शीर्ष स्तर से ही कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अपने लाखों लोगों को मिलकर संगठित करना है और इन महान कार्यों में इन लोगों को हिस्सेदार एवं साझीदार बनाना है।"

पंडित जी ने हमको यह बात याद रखने के लिए जोर दिया था कि :

'हम जो भी योजना तैयार करें, उसकी सफलता की कसौटी यह होगी कि हमारे लाखों देशवासियों, जो मात्र अपनी जीविका पूरी कर पाते हैं, को उससे कितनी राहत मिलती है यानि हमारे अधिकांश देशवासियों की भलाई और प्रगति होती है। अन्य सभी लाभ इस मुख्य दृष्टिकोण के अधीन होने चाहिएं।"

उन्होंने आगे कहा था :

"बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से अनेक नवयुवकों का जीवन नष्ट हो जाता है और यह हमारी एक प्रमुख समस्या है। हम इसे किसी जादू से दूर नहीं कर सकते ··। परन्तु हम हरेक ऐसे व्यक्ति को रोजगार एवं कार्य की गारंटी दे सकें जो मेहनत करने के लिए तैयार है और हाथ से काम करने को बुरा नहीं समझता।"

वही हमारा अब भी आखिरी लक्ष्य है। फिलहाल, हम वह सब कुछ कर रहे हैं जो कुछ हम अपने संसाधनों से कर सकते हैं। सभी मौजूदा ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिये गये हैं। यह योजना गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण भारत के 440 लाख परिवारों तक देश के कोने-कोने में पहुंचेगा। हमारा उद्देश्य है कि इनमें से प्रत्येक परिवार इसका लाभ उठायें। हमारा उद्देश्य इन परिवारों की कठिनाइयों में कुछ कमी लाने का है। खास कर हमारा लक्ष्य इन परिवारों की महिलाओं की कठिनाई में कमी लाने का है, जिन्होंने सदियों से अपने असीम साहस और सहनशीलता से उसका सामना किया है। हमारा लक्ष्य इन महान उद्देश्यों को पंचायतों की उत्तम संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने का है।

महोदय, जवाहरलाल नेहरू, जो एक महान स्वतन्त्रता सेनानी एवं आधुनिक भारत के निर्माता थे, के नाम पर हम अपने आपको बेरोजगारी का अभिशाप मिटाने, गरीबी का कलंक हटाने, महिलाओं के प्रति भेद-भाव समाप्त करने और अपने सभी देशवासियों को पूर्ण एवं समृद्ध जीवन निर्वाह करने में सुअवसर और सहायता सुनिश्चित करने के लिए पुन: समर्पित करते हैं। धन्यवाद। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।